संख्या-577**/2023/3852/001-41-2023-33-Budget-2021**

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 25 अगस्त, 2023**

विषय:- जनपद वाराणसी शहर के अन्तर्गत ओल्ड काशी के हबीबपुरा वार्ड तथा चेतगंज वार्ड के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य हेतुअवशेष स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3418/6-1-1(1242)/2020-21 दिनांक 16 अगस्त, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. जनपद वाराणसी शहर के अन्तर्गत ओल्ड काशी के हबीबपुरा वार्ड तथा चेतगंज वार्ड के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, प्रखण्ड वाराणसी द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित की गयी लागत के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-15/2022/आई/130314/2022/41-1002(001)/158/2021 दिनांक 07.01.2022 एवं शासनादेश संख्या-168/2022/759/41-2022/33 (बजट)/2021 दिनांक 28.03.2022 द्वारा प्रशासकीय एवं प्रथम व द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत वित्तीय स्वीकृति का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	योग
1.	हबीबपुरा वार्ड	रू0 488.83 (12 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित)	रू0 10.00	रू0 250.00	रू0 260.00
2.	चेतगंज वार्ड-1	रू0 469.89 (12 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित)	रू0 10.00	रू0 250.00	रू0 260.00
3.	चेतगंज वार्ड-2	रू0 350.87 (12 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित)	रू0 10.00	रू0 250.00	रू0 260.00

3. उक्त पृष्ठभूमि में महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 द्वारा उक्त प्रायोजनाओं हेतु अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख आदि उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रयोजनाओं हेतु अवशेष किश्त के रूप में निम्नांकित विवरणानुसार कॉलम-8 में अंकित कुल धनराशि रू0 387.86 लाख (रूपये तीन करोड़ सत्तासी लाख छियासी हजार मात्र) अवमुक्त करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान करते है कि निदेशालय द्वारा भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रयोजना की टेण्डर लागत से अधिक की धनराशि का भुगतान न हो एवं जी0एस0टी0 की मांग करते समय जी0एस0टी0 एवं लेबरसेस मद में जमा करायी गयी धनराशि से सम्बन्धित प्रपत्र अवश्य उपलब्ध कराये जायेंगे, तभी जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त की जायेगी:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	परियोजना का नाम	अनुबंध लागत (निविदा लागत)	सेन्टेज (12.5 %)	लेबरसेस (1.00 %)	योजना की कुल लागत (अनुबंध/निविदा लागत के आधार पर)	प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	अवशेष देय धनराशि
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
1.	हबीबपुरा वार्ड	रू0 383.94	रू0 47.99	रू0 3.84	रू0 435.77 + जी.एस.टी.	रू0 260.00	रू0 175.77
2.	चेतगंज वार्ड-1	रू0 369.06	रू0 46.13	रू0 3.69	रू0 418.88 + जी.एस.टी.	रू0 260.00	रू0 158.88
3.	चेतगंज वार्ड-2	रू0 275.97	रू0 34.49	रू0 2.75	रू0 313.21 + जी.एस.टी.	रू0 260.00	रू0 53.21
						योग	**रू0 387.86**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त प्रस्तर-4 पद प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति के क्रम में भुगतान से पूर्व निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 07.01.2022 एवं दिनांक 28.03.2022 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक),अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(10) प्रायोजना में अवशेष किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था, पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

6. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,87,86,000 (रूपये तीन करोड़ सत्तासी लाख छियासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801044600 वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी वाराणसी
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
6- उप निदेशक (रा0यो0), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, वाराणसी
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- उप निदेशक, पर्यटन वाराणसी एवं विंध्याचल मण्डल, वाराणसी।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।